जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट दिनांक 25.05.2024

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/323/377/506 भादवि व धारा 5r/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.05.2024 को वादिनी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त शब्बन पुत्र जलाल निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर वादिनी के पुत्र को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया एंवम उसके साथ मारपीट कर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/323/377/506 भादवि व धारा 5r/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त शब्बन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/323/377/506 भादवि व धारा 5r/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शब्बन पुत्र जलाल निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शब्बन पुत्र जलाल निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी धीरज सिह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 2438 प्रवीण कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1297 अनुज ढाका थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनांक – 25.05.2024

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/24 धारा 307/504/506/427 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.04.2024 को वादी श्री धरेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अक्षय पुत्र गजेन्द्र उर्फ इन्दल निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र लवीश के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग की गयी है तथा गाली – गलौच करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया व जान से मारने की धमकी दी गयी एवं वादी के ट्रैक्टर में आग लगा दी।

तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 215/2024 धारा 307/504/506/427 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम अक्षय उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्त द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 25.05.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से अनुरोध कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा 12 बोर बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा कारतूस

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 1996 अंकुर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नूरपुर दिनॉक 25.05.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 202/24 धारा 308/323/324/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.05.2024 को वादी श्री नरवीर यादव पुत्र स्व0 उदल सिंह निवासी ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अफजाल पुत्र मोहब्बत 2.मोहसीन 3.वसीम पुत्रगण सत्तार 4.समीर पुत्र साबिर द्वारा वादी के पुत्र विपुल के साथ गाली गलौच की तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की व उसे बचाने आये वादी के भतीजे रितिक कुमार के साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से मारपीट कर घायल किया जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 308/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 202/24 धारा 308/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. अफजाल अली पुत्र मौ0 अली 2.मोहसीन पुत्र अब्दुल सत्तार निवासीगण ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अफजाल अली पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.मोहसीन पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 राम सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.पीआरडी बाबू सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 25.05.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 103/2024 धारा 308/323/325/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री चेतराम पुत्र श्री फुल्लू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. मनोज पुत्र पप्पू 2. अजय पुत्र पप्पू निवासीगण ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने वादी के भाई के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डों से वार किया, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 308/323/325/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 103/2024 धारा 308/323/325/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र पप्पू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डन्डे सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनोज पुत्र पप्पू निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 गौरव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1074 राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर   दिनांक 25.05.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238/2024 धारा 313/323/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.05.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अरशद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया गया। वादिनी के गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का प्रयास किया तथा मारपीट की गयी। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 238/2024 धारा 313/323/376 भादवि बनाम अभियुक्त अरशद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238/2024 धारा 313/323/376 भादवि में वांछित अभियुक्त अरशद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरशद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरी0 रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 201 भूप सिहं थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. महिला आरक्षी 324 प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ   दिनॉक 25.05.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.05.2024 को थाना अफजलगढ क्षेत्र के वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि 02 बाल अपचारियों द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेडछाड की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 174/2024 धारा 354/506 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का नाम व पता–

1. एक बाल अपचारी।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री नरेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

2.उ0नि0 यू0टी0 विकास कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

3.हे0का0 718 सचिन चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंडावली **दिनांक 25.05.2024**

थाना मंडावली क्षेत्रान्तर्गत शराब से भरी कैंटर गाडी के अनियन्त्रित होकर पेड से टकरा जाने के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 24/25.05.2024 की रात्रि 01.00 बजे थाना मंडावली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जटपुरा बोण्डा के समीप गाय को बचाने के चक्कर में किसी अज्ञात वाहन से रगडकर केंटर गाडी (UK03CA-0833) अनियन्त्रित होकर पेड से टकरा गई, जिसमें इंडिया ग्लाईकोज लिमिटेड की फैक्ट्री की शराब की बोतले भरी थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मंडावली मय फोर्स मौके पर पहुंचे और देखा कि गाडी पेड से टकराई हुई है तथा शराब की अधिकांश बोतले टूटी हुई है। सडक पर गिरी बोतलो को गांव वालो की मदद से ईकट्ठा कराया गया तथा केंटर गाडी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिसकर्मियों की डयूटी लगाई गई। कैंटर के ड्राइवर को प्राथमिक उपचार दिलाया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से प्रारम्भ कराया गया।

उक्त संबंध में वाहन स्वामी द्वारा थाना मंडावली पर तहरीर दी गई कि घटना गाडी के अचानक अनियन्त्रित होने के कारण घटित हुई है, जिसमें भरी हुई अधिकांश शराब की बोतले क्षतिग्रस्त हो गयी। आबकारी विभाग को सूचना दी गई है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।